



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29032023-244763
CG-DL-E-29032023-244763

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1465]

No. 1465]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2023/चैत्र 8, 1945

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 2023/CHAITRA 8, 1945

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2023

का.आ. 1518(अ).—डीपीसीओ 2013 के पैरा 19 के अनुसार जारी पांच चिकित्सा उपकरण, अर्थात् (i) पल्स ऑक्सीमीटर, (ii) ब्लड प्रेशर मॉनीटरिंग मशीन, (iii) नेब्युलाइज़र, (iv) डिजिटल थर्मामीटर और (v) ग्लूकोमीटर के लिये 'व्यापार मार्जिन युक्तिकरण दृष्टिकोण' से उत्पाद की बिक्री के पहले बिंदु (वितरक को मूल्य) के आधार पर अधिकतम मूल्य को निर्धारित करने से संबंधित दिनांक 13 जुलाई 2021 के का. आ. 2808(अ), 31 जनवरी, 2022 के का.आ. 401 (अ), 29 जुलाई, 2022 के का.आ. 3534 (अ) और 30 दिसंबर 2022 के का.आ. 6176 (अ) के माध्यम से राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। उपरोक्त अधिसूचनाओं के क्रम में, पांच चिकित्सा उपकरण, नामतः (i) पल्स ऑक्सीमीटर, (ii) ब्लड प्रेशर मॉनीटरिंग मशीन, (iii) नेब्युलाइज़र, (iv) डिजिटल थर्मामीटर और (v) ग्लूकोमीटर के लिये 'व्यापार मार्जिन युक्तिकरण दृष्टिकोण' से उत्पाद की बिक्री के पहले बिंदु (वितरक को मूल्य) के आधार पर अधिकतम कीमतें निर्धारित करने संबंधी 31 मार्च 2023 तक की अधिसूचना को 30 जून 2023 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है।

2. दिनांक 13 जुलाई 2021 के का. आ. 2808 (अ) की टिप्पणियां (ख) से (ड) तक इस आदेश के जारी रहने की अवधि के दौरान लागू रहेंगी।

[पीएन/242/110/2023/एफ/फा. सं. 8(110)/2023/डीपी/एनपीपीए/डिव. II]

राजेश कुमार टी, उप निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

ORDER

New Delhi, the 29th March, 2023

S.O. 1518(E).—The National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India vide S.O. 2808(E) dated 13th July 2021, S.O. 401 (E) dated 31st January 2022, S.O. 3534(E) dated 29th July 2022 and S.O. 6176(E) dated 30th December 2022 issued notifications under Para 19 of the DPCO, 2013 regarding capping the trade margin of five medical devices, namely, (i) Pulse Oximeter, (ii) Blood Pressure Monitoring Machine, (iii) Nebulizer, (iv) Digital Thermometer, and (v) Glucometer, at the first point of sale of the product (price to distributor) for fixation of Maximum Retail Price of these products. In continuation to the above notifications, capping the trade margin of five medical devices, namely, (i) Pulse Oximeter, (ii) Blood Pressure Monitoring Machine, (iii) Nebulizer, (iv) Digital Thermometer, and (v) Glucometer at the first point of sale (price to distributor) up to 31st March 2023 is further extended up to 30th June 2023 or till further order, whichever is earlier.

2. The Notes (b) to (m) of the Notification S.O. 2808 (E) dated 13th July 2021 shall remain in force during the currency of this order.

[PN/242/110/2023/F/ F. No. 8(110)/2023/DP/NPPA/Div. II]

RAJESH KUMAR T, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2023

का.आ. 1519(अ).—डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के तहत जारी ऑक्सीजन सांद्रक (कांसेंट्रेटर्स) के लिए 'व्यापार मार्जिन युक्तिकरण दृष्टिकोण' से उत्पाद बिक्री के पहले बिंदु (वितरक को मूल्य) के आधार पर अधिकतम खुदरा मूल्य को नियत/संशोधित करने से संबंधित दिनांक 3 जून, 2021 के का.आ. 2161(अ), दिनांक 30 नवंबर, 2021 के का.आ. 4909(अ), 30 मई, 2022 के का.आ. 2465(अ), 30 जून, 2022 के का.आ. 2983 (अ) और 30 दिसंबर, 2022 के का.आ. 6177(अ) के माध्यम से राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। उपरोक्त अधिसूचनाओं के क्रम में, ऑक्सीजन सांद्रक (कांसेंट्रेटर्स) के व्यापार मार्जिन युक्तिकरण दृष्टिकोण से उत्पाद की बिक्री के पहले बिंदु(वितरक को मूल्य) के आधार पर अधिकतम कीमतें नियत करने संबंधी 31 मार्च 2023 तक की अधिसूचना को 30 जून 2023 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है।

2. दिनांक 3 जून 2021 के का.आ. 2161(अ) की टिप्पणियां (ख) से (न) तक इस आदेश के जारी होने की अवधि के दौरान लागू रहेंगी।

[पीएन/242/110/2023/एफ/फा. सं. 8(110)/2023/डीपी/एनपीपीए/डिव. II]

राजेश कुमार टी, उप निदेशक

ORDER

New Delhi, the 29th March, 2023

S.O. 1519(E).—The National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India vide S.O. 2161 (E) dated 3rd June 2021, S.O. 4909 (E) dated 30th November 2021, S.O. 2465 (E) dated 30th May 2022, S.O.2983(E) dated 30th June 2022 and S.O. 6177 (E) dated 30th December 2022 issued notifications under Para 19 of the DPCO, 2013 regarding capping the trade margin of Oxygen Concentrators at the first point of sale (price to distributor) for fixation of Maximum Retail Price of the product. In continuation to the above notifications, capping the trade margin of Oxygen Concentrator at the first point of sale (price to distributor) up to 31st March 2023 is further extended up to 30th June 2023 or till further order, whichever is earlier.

2. The Notes (b) to (n) of the Notification S.O. 2161(E) dated 3rd June 2021 shall remain in force during the currency of this order.

[PN/242/110/2023/F/ F. No. 8(110)/2023/DP/NPPA/Div.II]

RAJESH KUMAR T, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2023

का.आ. 1520(अ).—भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का० आ० 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का० आ० 5249(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2022 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) के का. आ. 879(अ) दिनांक 24 फरवरी, 2023 के आदेश के अधिक्रमण में जहां तक उसका संबंध नीचे की सारणी के विनिर्भित पैक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण नीचे की सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट खुराक रूप एवं प्रबलता और इकाई सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्भितियों में से प्रत्येक की, वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है:

सारणी

क्र. सं.	अनुसूचित विनिर्भित का नाम	खुराक रूप एवं प्रबलता	इकाई	अधिकतम कीमत (रु.) एसओ 879(अ) दिनांक 24.02.2023 के अनुसार	अधिकतम कीमत (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	हार्मोन रिलिजिंग आईयूडी	इसमें 52 मिग्रा. लेवोनोर्गेस्ट्रेल शामिल है	1 आईयूडी	3456.44	3659.68

[पीएन/242/110/2023/एफ/फा. सं. 8(110)/2023/डीपी/एनपीपीए/डिव.II]

राजेश कुमार टी, उप निदेशक

नोट :

(क) सरकार द्वारा इस प्रकार नियत की गई और अधिसूचित की गई अधिकतम कीमत (वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू हों सहित) से अधिक कीमत पर अनुसूचित विनिर्भितियों के ब्रांडेड या जेनेरिक या दोनों रूपांतरों को बेच रहे अनुसूचित विनिर्भितियों के सभी विनिर्माता, उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में वर्णित अधिकतम कीमत (वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू हों सहित) से अधिक सभी ऐसी विनिर्भितियों की कीमत का अधोमुखी पुनरीक्षण करेंगे।

(ख) मौजूदा निर्माताओं को उपर्युक्त कथित अनुसूचित विनिर्मितियों के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत वस्तु एवं सेवा कर सहित से कम है तो, जहां कहीं भी लागू हो, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 13(2) के अनुसार उसके मौजूदा अधिकतम खुदरा कीमत को बनाए रखना होगा।

(ग) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ सकते हैं।

(घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत सम्बन्धित निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म-V में अधिसूचना की तारीख से आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को एक मूल्य सूची जारी करें तथा उसकी कॉपी राज्य औषधि नियंत्रकों और विनिर्माता वितरकों को जारी करें।

(ङ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 24 (4) के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारोबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सुस्पष्ट भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को प्रदर्शित करेगा।

(च) उपर्युक्त सारणी में यथा विनिर्दिष्ट खुदरा या प्रबलता या दोनों के साथ अनुसूचित विनिर्मितियों का कोई मौजूदा विनिर्माता औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के पैरा 2 (1) (यू) के अनुसार कोई नई औषधि को लांच करता है तो ऐसे मौजूदा विनिर्माता की औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 की अनुसूची-II के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट फॉर्म-I में एनपीपीए को ऐसी नई औषधि के पूर्व मूल्य अनुमोदन हेतु आवेदन करना होगा।

(छ) उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के निर्माता उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के अनुसूची II के फॉर्म III को आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। कोई निर्माता उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों का उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो वह इसके सम्बन्ध में के उत्पादन और आयात को बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले अनुसूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।

(ज) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(झ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की गई तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसी विनिर्मितियों के पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणामस्वरूप, अधिकतम या खुदरा मूल्य निर्धारित आदेश यदि कोई हो, जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, उनका स्वतः ही अधिक्रमण हो जाएगा।

ORDER

New Delhi, the 29th March, 2023

S.O. 1520(E).—In exercise of the powers conferred by paragraphs 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 and 18 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated 30th May, 2013 and S.O. 5249(E) dated 11th November, 2022 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) S.O. 879(E) dated 24th February, 2023 in so far as it relates to formulation pack mentioned in the table below, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (6) of the table herein below as ceiling price exclusive of goods and services tax applicable, if any, in respect of the Scheduled formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the dosage form & strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Dosage form and strength	Unit	Ceiling Price (Rs) as per S.O. 879(E) dt 24/02/2023	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hormone Releasing IUD	Contains 52 mg of Levonorgestrel	1 IUD	3456.44	3659.68

[PN/242/110/2023/F/ F. No. 8(110)/2023/DP/NPPA/Div.II]

RAJESH KUMAR T, Dy. Director

Note:

- (a) All manufacturers of scheduled formulation, selling the branded or generic or both the versions of scheduled formulations at a price higher than the ceiling price (plus Goods and Services Tax as applicable) so fixed and notified by the Government, shall revise the prices of all such formulations downward not exceeding the ceiling price specified in column (6) in the above table plus goods and services tax as applicable, if any.
- (b) All the existing manufacturers of above-mentioned scheduled formulations having MRP lower than the ceiling price specified in column (6) in the above table plus goods and services tax as applicable, if any, shall continue to maintain the existing MRP in accordance with paragraph 13 (2) of the DPCO, 2013.
- (c) The manufacturers may add goods and services tax only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (6) of the above said table.
- (d) The ceiling price for a pack of the scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (6) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V/VI from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.
- (e) As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.
- (f) Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table launches a new drug as per paragraph 2(1)(u) of the DPCO, 2013 such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.
- (g) The manufacturers of above said scheduled formulations shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulations in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through IPDMS. Any manufacturer intending to discontinue production of above said scheduled formulation shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of production and / or import of scheduled formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (h) The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.
- (i) Consequent to the issue of ceiling price of such formulation as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.